उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–3

संख्या 874/का–3–2003–3/18-98

लखनऊ, दिनांक 8 अप्रैल, 2003

अधिसूचना संख्या 874/का–3–2003–3/18–98, दिनांक 8 अप्रैल, 2003 के द्वारा प्रख्यापित उ० प्र० सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखंडन) नियमावली, 2003 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।

2—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र०।

3—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

4—प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5—सचिव विधान सभा/विधान परिषद उ० प्र०।

6—सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7—मा० मन्त्रिगणों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9—नेता विरोधी दल, विधान सभा/विधान परिषद।

आज्ञा से,

बी० एन० दीक्षित,

विशेष सचिव।

क्रम-संख्या—86

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 अप्रैल, 2003

चैत्र 18, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—3

संख्या 874/का–3–2003-3/18-98

लखनऊ, 8 अप्रैल, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०–16

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 को विखंडित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखंडन) नियमावली, 2003

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखंडन) नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:

(क) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

विखंडन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 एतद्द्वारा विखंडित की जाती है, और ऐसे विखंडन के परिणामस्वरूप–

(एक) उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 के अधीन प्रोद्भूत आमेलन के लिये विचार किये जाने वाले किसी छंटनीशुदा कर्मचारियों का अधिकार, किन्तु जिनका उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखंडन) नियमावली, 2003 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक आमेलन न किया गया हो, ऐसे दिनांक से समाप्त हुआ समझा जायेगा।

(दो) सरकारी सेवा में किसी विशिष्ट सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम के छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिए आमेलन के सन्नियम विहित करने में और वेतन संरक्षण सहित पारिणामिक प्रसुविधाओं को प्रदान करने में समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेश, उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखंडन) नियमावली, 2003 के प्रारम्भ होने के दिनांक से निराकृत हो जायेंगे।

(2) ऐसे विखंडन के होते हुए भी–

(एक) उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों के सरकारी सेवा में आमेलन (विखंडन) नियमावली, 2003 के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व किसी छंटनीशुदा आमेलित कर्मचारी को प्रदान की गई वेतन संरक्षण की प्रसुविधा वापस नहीं ली जायेगी।

(दो) उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखंडन) नियमावली, 2003 के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन, नियमावली, 1991 द्वारा आच्छादित कोई छंटनीशुदा कर्मचारी, जिसे ऐसे दिनांक तक आमेलित न किया गया हो, ऐसे समूह "ग" और समूह "घ" के पद, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के हों, पर सीधी भर्ती के लिए, उच्चतर आयु सीमा में उस सीमा तक शिथिलता प्राप्त करने का हकदार होगा, जितनी उसने सम्बन्धित सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम में मौलिक हैसियत से पूर्ण किये गये वर्षों तक निरन्तर सेवा की हो।

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 874/Ka-3—2003-3/18/98, dated April 8, 2003:

No. 874/Ka-3—2003-3/18/98

Dated Lucknow, April 8, 2003

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to rescinding the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporation in Government Service Rules, 1991 :

THE UTTAR PRADESH ABSORPTION OF RETRENCHED EMPLOYEES OF GOVERNMENT OR PUBLIC CORPORATIONS IN GOVERNMENT SERVICE (RESCISSION) RULES, 2003.

Short title and commencement

1. (i) These rules may be called the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service (Rescission) Rules, 2003.

(ii) They shall come into force atonce.

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: Definitions.

(a) "Constitution" means the Constitution of India;

(b) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh.

3. (1) The Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or public Corporations in Government Service Rules, 1991 are hereby rescinded, and as a consequence of such rescission— Rescission and savings

(i) the right of a retrenched employee to be considered for absorption accrued under the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service Rules, 1991 but who has not been absorbed till the date of the commencement of the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service (Rescission) Rules, 2003 shall stand terminated from such date,

(ii) the orders of the Government issued from time to time prescribing the norms of absorption for retrenched employees of a particular Government department or Public Corporation in Government Service and granting of consequential benefits including pay protection, shall stand abrogated from the date of the commencement of the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service (Rescission) Rules, 2003.

(2) Notwithstanding such rescission—

(i) the benefit of pay protection granted to an absorbed retrenched employee prior to the date of the commencement of the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government Public Corporations in Government Service (Rescission) Rules, 2003 shall not be withdrawn,

(ii) a retrenched employee covered by the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service Rules, 1991 prior to the date of the commencement of the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service (Rescission) Rules, 2003, but who has not been absorbed till such date shall be entitled to get relaxation in upper age limit for direct recruitment to such Group 'C' and Group 'D' posts which are outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission to the extent he has rendered his continuous services in substantive capacity in the concerned Government Department or Public Corporation in completed years.

By order,

RAJENDRA BHONWAL,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 17 राजपत्र (हि०)—2003—(38)—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 2 सा० नियुक्ति—2003—(39)—3000—प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।